भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. † 49

उत्तर देने की तारीख 19.07.2021

जनजातीय आबादी का विस्थापन

†49. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विस्थापित होने वाली जनजातीय आबादी/परिवारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त विस्थापन के क्या कारण हैं; और
(घ) विस्थापित होने वाले लोगों के लिए सरकारी सहायता के क्या उपबंध हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री विश्वेश्वर टुडू)

(क) से (घ) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), जो भूमि अधिग्रहण मामले से निपटने वाला नोडल मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि भूमि का अधिग्रहण, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदार्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य के अधिनियमों के तहत किया जाता है जिसे डीओएलआर द्वारा अभिशासित किया जा रहा है और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधान उपयुक्त सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 (ड.) में परिभाषित है। जनजातियों के विस्थापन के ब्यौरे सहित राज्यों/अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई केंद्रीय डाटाबेस नहीं है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4 (5) में कहा गया है कि जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों को कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नही हो जाती है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार) अधिनियम, 1996, में भी प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों या विकास परियोजनाओं में भूमि के अधिग्रहण से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन से पहले, ग्राम सभा या पंचायतों से उचित स्तर पर परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन को, राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा।

अनुसूची -V के तहत संवैधानिक प्रावधानों में भी भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

****